

**सतर्कता विभाग**

क्र.स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)	पद चयन या गैर चयन	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएँ (ग) अनुभव पदोन्नति/ विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षा अवधि	भर्ती की पध्दति (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा )	पदोन्नति/विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में भर्ती किस श्रेणी से की जानी है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	<b>सहायक सतर्कता अधिकारी</b>	2	श्रेणी - I	9100-250-15100	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	(बी) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की पदवी	2	<b>पदोन्नति द्वारा</b> अन्यथा <b>प्रतिनियुक्ति</b> I द्वारा	सतर्कता विभाग के संबंधित क्षेत्र (discipline) में 6170-11975 के वेतनमान में 5 वर्षों की नियमित सेवा करनेवाले तृतीय श्रेणी कर्मचारी से पदोन्नति पत्तन न्यास के विभिन्न विभागों से रु.9100-15100 के वेतनमान में समान पदधारी अधिकारी से प्रतिनियुक्ति	समान्यतः प्रतिनियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी और किसी भी मामले में 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
105	सतर्कता अधिकारी	1	श्रेणी - I	10750-300-16750	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	(बी)मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की पदवी	2	पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा	9100-15100 के वेतनमान में 5 वर्षों की नियमित सेवा करने वाले सहायक सतर्कता अधिकारी श्रेणी I से पदोन्नति  समान पदधारी अधिकारियों अथवा पत्तन न्यास के विभिन्न विभागों से 9100-15100 के वेतनमान में 5 वर्षों की नियमित सेवा करने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति	सामान्यतः प्रतिनियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी और किसी भी मामले में 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	<b>वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी</b>	1	श्रेणी - I	13000-350-18250	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	(बी) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री	2	<b>पदोन्नति द्वारा अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा</b>	10750-16750 के वेतनमान में उसी श्रेणी में 4 वर्षों की नियमित सेवा करने वाले सतर्कता अधिकारी से पदोन्नति अन्यथा 10750-16750 के वेतनमान में उसी श्रेणी में 2 वर्षों की नियमित सेवा और सतर्कता विभाग से संबंधित क्षेत्रों (disciplines) में 10750-16750 और 9100-15100 के वेतनमानों में 9 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा से पदोन्नति  समान पदधारी अधिकारियों अथवा पत्तन न्यास के विभिन्न विभाग से 10750-16750 के वेतनमान में उसी श्रेणी में 4 वर्षों की नियमित सेवा करने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति.	समान्यतः प्रतिनियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी और किसी भी मामले में 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	1	श्रेणी - I	16000-400-20800	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	(बी) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री	लागू नहीं	महापत्तन न्यास से <b>1.प्रतिनियुक्ति द्वारा</b>	2. महापत्तन न्यासों में, सदृश पद धारक अधिकारियों या महापत्तन न्यास में रु. 24900-50500 (पूर्व संशोधित रु. 13000-18250) के वेतनमान के इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले पद धारक अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर तथा ऐसा कोई उपलब्ध न हो तो केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ स्वायत्त निकायों के अनुरूप श्रेणी धारक अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति. सतर्कता कार्य में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी. चयन योग्यता के आधार पर किया जायेगा जिसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समग्र श्रेणीकरण में निर्धारित स्तर "बहुत अच्छा" से कम नहीं होगा.	समान्यतः प्रतिनियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी और किसी भी मामले में 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी.

1,2. TR No. 9 of 30.5.2015 G.S.R. No. 518 of 29.6.2015 के अनुसार प्रतिस्थापित किया.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	<b>मुख्य सतर्कता अधिकारी</b>	1	श्रेणी - I (विभाग प्रमुख)	20500- 500- 26500	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अखिल भारतीय/केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों की <b>प्रतिनियुक्ति द्वारा</b>	भारत सरकार के उप सचिव/निदेशक स्तर की नियुक्ति के लिए पात्र अधिकारी	सामान्यतः प्रतिनियुक्ति 3 वर्षों के लिए होगी और किसी भी मामले में 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी.